

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांक: 57/2015

संस्थित दिनांक-25/05/2011

फाईलिंग नंबर-230303005622011

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला-भिण्ड (म०प्र०) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1. महेश पुत्र छविराम सिंह गुर्जर,
उम्र 31 सालफरार आरोपी
2. फूलसिंह पुत्र नाथूसिंह गुर्जर,
उम्र 32 साल निवासी ग्राम गिरगांव,
थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर म.प्र.उपस्थित आरोपी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक
आरोपी फूलसिंह द्वारा श्री कमलेश शर्मा अधिवक्ता

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 21 मार्च 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. उपस्थित अभियुक्त फूलसिंह के विरुद्ध धारा 392 भादवि सहपठित धारा-11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट का आरोप है कि उन्होंने दि. -30/12/2010 के रात 9 बजे ग्राम गुरीखा डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी दिलीप से उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल तथा रुपये छीनकर ले जाकर लूट कारित की ।
2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावी क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक-30/12/2010 के रात्रि करीब 9 बजे अपनी किराने की दुकान बंद करके अपने गांव गुरीखा जा रहा था, जैसे ही उसकी मोटरसाइकिल गुरीखा रोड पर पहुंची तो रोड पर झकरा पड़े दिखे, फरियादी ने अपनी मोटरसाइकिल रोकी तभी दो आदमी उसके सामने आ गये जिनमें से एक मोटा सा ठिकना,

गेहुएं रंग का उम्र 25-30 साल, दूसरा इकहरा बदन, लंबा सा गेहुंए उम्र 25-30 साल के अपने हाथों में डण्डा लिये आये और उसकी पेंट की जेब से लटक गये और उसकी जेब में रखे 10,000/-रुपये मय सफंद रंग की पेंट के उतारकर ले गये । उक्त पेंट में फरियादी का स्पाइस कंपनी का मोबाइल, मोटरसाइकिल के कागज और फरियादी की मोटरसाइकिल नंबर-एम.पी.-07 एम.जे.-8019 को लूटकर मालनपुर की तरफ भाग गये ।

4. उक्त आशय का की सूचना पर से थाना मालनपुर में फरियादी दिलीप सिंह द्वारा लेखबद्ध करायी गयी, जो थाना के अपराध क्रमांक-165/2010 अंतर्गत धारा-392 भा0द0वि0 व 11, 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत **प्रदर्श पी.-03** लेखबद्ध की गयी एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया ।

5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्त फूलसिंह के विरुद्ध के विरुद्ध धारा 392 भादवि सहपठित धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है । उसकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है ।

6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1- क्या आपने दि.-30/12/2010 के रात 9 बजे ग्राम गुरीखा डकैती प्रभावित क्षेत्र में फरियादी दिलीप से उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल तथा रुपये छीनकर ले जाकर लूट कारित की ?

-:-निष्कर्ष के आधार -:-

7. प्रकरण में आरोपी महेश सिंह गुर्जर फरार है । जिसके संबंध में अभिलेख पर उसके उपस्थित रहते हुए कुछ साक्ष्य आ चुकी है किन्तु इस निर्णय द्वारा केवल आरोपी फूलसिंह के विरुद्ध विरचित आरोप का निराकरण किया जा रहा है इसलिये फरार आरोपी महेश से संबंधित दस्तावेज एवं साक्षियों को मूल्यांकन में फिलहाल नहीं लिया जा रहा है । और आरोपी फूलसिंह से संबंधित साक्ष्य का ही मूल्यांकन किया जा रहा है ।

8. परीक्षित साक्षियों में से घटना के फरियादी एवं सर्वाधिक महत्व के साक्षी दिलीप गौड अ0सा0-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में आरोपी की पहचान से इंकार करते हुए कहा है कि उसकी हरीराम कुईया मालनपुर में दुकान है और वह अपनी दुकान पर ग्राम गुरीखा से

आता जाता था, घटना वाले दिन भी वह अपनी दुकान बंद करने के बाद मोटरसाइकिल से अपने गांव गुरीखा जा रहा था, शाम को करीब साढ़े सात बजे का समय था, जैसे ही वह ग्राम गुरीखा के मोड़ पर पहुंचा तो दो लोग जो अपना मुंह बांधे हुए थे और रोड पर मिले, रोड पर झाकरें लगा दी थी जिसके कारण वह रुक गया । फिर दोनों ने उसकी मोटरसाइकिल छुड़ा ली और उसका पेंट जबरदस्ती उतरवाकर ले गये, पेंट की जेब में 10000 रुपये व मोबाइल रखा था फिर उसने थाना मालनपुर में जाकर दो अज्ञात लोगों के विरुद्ध मोटरसाइकिल, मोबाइल व रुपये की लूट की प्रदर्श पी.-4 की रिपोर्ट लिखायी थी । पुलिस ने उसकी निशादेही पर प्र.पी.-5 का नक्शामौका बनाया जाना बताते हुए इस बात से इंकार किया है कि आरोपी फूलसिंह उसे उसके सामने पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त की थी । जब्त पत्रक प्रदर्श पी.-6 पर ए से ए भाग पर उसने अपने हस्ताक्षर अवश्य बताये हैं ।

9. उक्त फरियादी दिलीप सिंह अ.सा.-3 को अभियोजन द्वारा पक्ष विरोधी घोषित करते हुए पूछे गये सूचक प्रश्नों में उसने इस बात को स्वीकार किया है कि दिनांक-18/05/2011 को उसके भाई गिराज ने उसकी दुकान पर आकर बताया था कि उसकी लूटी हुई मोटरसाइकिल एक व्यक्ति रिठौरा तरफ चलाकर ले गया है । फिर वह व उसका भाई गिराज रिठौरा रोड पर पहुंचे थे और एक व्यक्ति को मोटरसाइकिल चलाकर आते हुए देखा था, किन्तु इस बात से इंकार किया है कि उसकी लूटी हुई मोटरसाइकिल आरोपी फूलसिंह चलाकर लाया था । इस बात से भी उसने इंकार किया है कि आरोपी फूलसिंह की रिश्तेदारी उसके ग्राम गुरीखा में है । आरोपी फूलसिंह से लूटी गयी मोटरसाइकिल बरामद होने से भी उसने इंकार किया है । और जब्ती पत्रक की पुष्टि नहीं की है ।

10. फरियादी दिलीप के भाई गिराज अ.सा.-4 जिसे अभियोजन द्वारा प्रदर्श पी.-6 की मोटरसाइकिल का जब्ती का साक्षी बताया गया उसने भी अपने अभिसाक्ष्य में प्रदर्श पी.-6 पर केवल बी से बी भाग पर अपने हस्ताक्षर बताये हैं और इस बात से इंकार किया कि वह आरोपी फूलसिंह को जानता है तथा उसके भाई दिलीप के साथ हुई लूट की घटना के करीब पांच माह बाद आरोपी फूलसिंह से लूटी गयी मोटरसाइकिल जब्त की गयी थी, इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी फूलसिंह को लूटी गयी मोटरसाइकिल लेकर उसने रिठौरा तरफ देखा था और उक्त बात अपने भाई दिलीप को बतायी थी । वह इस बात से भी इंकार करता है कि पुलिस को भी उक्त बात बतायी और वह तथा दिलीप पुलिस के साथ गये थे और आरोपी का पीछा किया था, तो आरोपी फूलसिंह मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया था । फिर पुलिस ने मोटरसाइकिल जब्त की,

प्रदर्श पी.-10 का इस संबंध में कथन देने से भी वह इंकार करता है।

11. इस प्रकार से उपरोक्त दोनों घटना के महत्वपूर्ण साक्षी जिनके द्वारा आरोपी फूलसिंह के विरुद्ध कोई अभिसाक्ष्य नहीं दिया गया है तथा प्रकरण में आरोपी फूलसिंह को प्र.पी.-6 मुताबिक फरियादी दिलीप की लूटी गयी मोटरसाइकिल क्र.-एम.पी.-07 एम.जे.-8019 की जब्ती होने के आधार पर अभियोजित किया गया है जिसका भी उक्त दोनों साक्षी कोई समर्थन नहीं करते हैं। इसके अलावा साक्षी थानसिंह अ.सा.-5 और उसके पुत्र शैलेन्द्र अ.सा.-6 ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। थानसिंह ने प्रदर्श पी.-11 और शैलेन्द्र ने प्र.पी.-12 के पुलिस कथन उनको देने से इंकार किए हैं। उनके अभिसाक्ष्य में भी आरोपी फूलसिंह के संबंध में अभियोजन के पक्ष में कोई तथ्य नहीं बताये गये हैं और साक्षी रमेश गौड अ.सा.-2 फरार आरोपी महेश से संबंधित है इसलिये उसके अभिसाक्ष्य के विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।
12. पटवारी योगेन्द्र त्रिपाठी अ.सा.-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में तहसीलदार गोहद के आदेश पर घटनास्थल पर जाकर प्र.पी.-1 का नक्शामौका तैयार करना बताया है, थाने पर बनाने से इंकार किया है। प्र.पी.-1 में घटनास्थल ग्राम गुरीखा का रोड है, जो भिण्ड ग्वालियर हाईवे से जुड़ा हुआ है और अभियोजन के अनुसार घटना गुरीखा रोड की बतायी गयी है, गुरीखा रोड का जो स्थान नक्शामौका प्र.पी.-1 में अंकित किया गया है, वह घटना दि0 को राजस्व जिला भिण्ड के अंतर्गत होकर डकैती प्रभावित क्षेत्र में अवश्य आता था किन्तु जो लूट की घटना दिलीप अ.सा.-3 ने बतायी है, जिसमें मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन व रूपयों की लूट दो अज्ञात लोगों के द्वारा की जाना बतायी गयी है, अ.सा.-3 व अ.सा.-4 के अभिसाक्ष्य से अधिकतम इस बिन्दु की पुष्टि होती है कि दि0-30/12/2010 की रात्रि के समय जब दिलीप गौड मालनपुर से अपनी दुकान बंद करके अपने घर गुरीखा जा रहा था तब गुरीखा के रास्ते में उसके साथ लूट की घटना दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा अंजाम दी गयी, जिसमें उसकी मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन व 10000 रुपये जो वह अपनी पेंट की जेब में रखा था, लूट लिये गये। किन्तु उस लूट की घटना में आरोपी फूलसिंह शामिल था ऐसी कोई साक्ष्य नहीं आयी है। प्रकरण में आरोपी फूलसिंह के गिरफ्तार होने के पश्चात उसकी कोई पहचान परेड भी नहीं हुई। जबकि प्र.पी.-4 की एफ आई आर में लूट करने वाले के हुलिये बताये गये थे, ऐसे में फूलसिंह की विवेचना के दौरान दि0-21/3/2012 गिरफ्तारी पश्चात पहचान परेड की कार्यवाही होनी चाहिये थी जो नहीं करायी गयी है। और उसके संबंध में कोई स्पष्टीकरण भी घटना के

विवेचक तत्कालीन थाना प्रभारी आत्माराम शर्मा अ.सा.-7 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में नहीं दिया गया है।

13. अ.सा.-3 व 4 तथा अ.सा.-7 के अभिसाक्ष्य से प्र.पी.-4 की एफ आई आर में बतायी गयी घटना की तो पुष्टि होती है किन्तु आरोपी फूलसिंह की पहचान परेड न होने और प्र.पी.-6 मुताबिक बतायी गयी जब्ती भी प्रमाणित न होने से उसके लूट की घटना में संलिप्त होने को संदिग्ध ही माना जायेगा क्योंकि एफ आई आर में फरियादी दिलीप के द्वारा यह भी बताया गया था कि वह बदमाशों को सामने आने पर पहचान लेगा। ऐसे में पहचान परेड आवश्यक भी जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है।
14. प्र.पी.-4 की एफ आई आर के अंत में ऐसा भी उल्लेख किया गया कि बदमाश भमरौली गांव की तरफ की भाषा बोल रहे थे, जबकि लूट की जो घटना बतायी गयी है, उसमें लूट के समय, लूट करने वालों का आपस में या फरियादी दिलीप से कोई वार्तालाप हुई हो, ऐसा भी नहीं बताया गया है। ऐसा भी नहीं बताया गया कि लूट करने वालों ने फरियादी को रोका हो और उससे किसी भय को दिखाते हुए कुछ बोलते हुए लूट की घटना को अंजाम दिया हो, ऐसे में एफ आई आर में उल्लेखित यह बिन्दु कि बदमाश भमरौली गांव की भाषा बोल रहे थे उसकी कतई पुष्टि कथानक से नहीं होती है और दिलीप ने तो इस बारे में कोई साक्ष्य नहीं दी है जिसका अनुसंधान के दौरान दो बार प्र0पी0-8 व 9 के रूप में कथन लिये गये थे जिसकी भी उसने कोई पुष्टि नहीं की है जिसमें आरोपी फूलसिंह को इस आधार पर भी घटना में शामिल होने का बिन्दु प्रकट किया गया था कि आरोपी फूलसिंह गिरगांव का रहने वाला है जिसकी ग्राम गुरीखा में उदयसिंह व कल्याण सिंह गुर्जर के यहां रिश्तेदारी है जहां वह कई सालों से उनके यहां आता जाता देखा गया है, फरियादी दिलीप के भाई गिराज के द्वारा देखा जाता रहा है। इस बात की पुष्टि गिराज अ.सा.-4 ने भी नहीं की है। यदि ऐसा होता कि ग्राम गुरीखा में आरोपी फूलसिंह के अपनी रिश्तेदारी में उदयसिंह व कल्याणसिंह के यहां आते जाते कई वर्षों तक देखा गया होता और उसका घटना में शामिल होना वास्तविक होता तो फिर एफ आई आर में फरियादी दिलीप उसका नाम लिखाता क्योंकि फरियादी भी गांव गुरीखा का ही निवासी है और ग्राम गुरीखा से ही वह मालनपुर में अपनी दुकान पर प्रतिदिन आता जाता है।
15. प्रकरण में एफ आई आर का यह वृत्तांत कि लुटेरे भमरौली गांव की भाषा बोल रहे थे, ऐसी भाषा फरियादी ने बतायी, इस बारे में एफ आई आर लेखक आत्माराम शर्मा अ.सा.-7 का भी कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है कि उसने कोई बात फरियादी के बताने पर

लिखी, जबकि कोई वार्तालाप भी नहीं हुई। तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क आधार रखता है कि ग्राम भमरौली की कोई अलग भाषा नहीं है जबकि संपूर्ण जिला भिण्ड में लगभग एक जैसी भाषा बोली जाती है। ऐसी प्रकरण में कोई साक्ष्य भी नहीं है कि यह निश्चित कर सके कि ग्राम भमरौली व ग्राम गुरीखा की भाषा अलग अलग है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आरोपी फूलसिंह ग्राम भमरौली का निवासी भी नहीं है बल्कि ग्राम गिरगांव थाना महाराजपुरा जिला ग्वालियर का निवासी है, जैसाकि अभियोजन द्वारा भी बताया गया है और आरोपी की ओर से भी वही पता बताया गया है। इसलिये भमरौली गांव तरफ की भाषा बोलने का कोई तथ्य प्रकरण में किसी भी तरह से कड़ी के रूप में नहीं जुड़ता है।

16. अभियोजन के कथानक मुताबिक उक्त लूट की घटना में लूट करने वाले फरियादी दिलीप का पहना हुआ पेंट उतरवाकर ले गये थे जिसमें मोबाइल फोन व दस हजार रुपये रखे थे किन्तु आरोपी फूलसिंह के गिरफ्तारी उपरान्त उसके धारा-27 साक्ष्य विधान के तहत लिये गये मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी.-15 व 16 में भी पेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं ली गयी है। न ही पेंट के बारे में उससे पूछा गया। न ही पेंट बरामद करने का कोई प्रयास किया गया है और इसके संबंध में भी विवेचक अ.सा.-7 ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। जहां तक प्र.पी.-6 की जब्ती का प्रश्न है जो आरोपी फूलसिंह से जब्त होना कही गयी है, जबकि प्र.पी.-6 में ही इस आशय का नोट अंकित है कि आरोपी के भाग जाने से जब्ती पर उसके हस्ताक्षर नहीं कराये जा सके, न ही उसकी गिरफ्तारी हो सकी। जिसके संबंध में प्र.पी.-15 व 16 के पंच साक्षी अभियोजन द्वारा पेश नहीं हुए हैं और उसके संबंध में तत्कालीन आरक्षक वर्तमान ए.एस.आई राकेश प्रसाद अ.सा.-8 और आत्माराम शर्मा विवेचक अ.सा.-7 के द्वारा अभिसाक्ष्य दिया गया है जिनके अभिसाक्ष्य के आधार पर उक्त दस्तावेजों की वैधानिक स्थिति देखना होगी।

17. आत्माराम शर्मा अ.सा.-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-3 में यह कहा है कि फरियादी की सूचना पर दि0-18/05/2011 को दिलीप व गिराज के समक्ष आरोपी फूलसिंह द्वारा भागकर छोड़ी गयी मोटरसाइकिल डिस्कवर क्र0-एम.पी.-07 एम.डी.-8019 को उसने जब्त किया था जो क्रॉम्टन फैक्ट्री के सामने मिलना पैरा-4 में बताया गया है जिसका दिलीप व गिराज ने तो कोई समर्थन नहीं किया है। उक्त विवेचक के अभिसाक्ष्य से कहीं भी ऐसा परिलक्षित नहीं होता है कि उसने स्वयं अपनी आंखों से आरोपी फूलसिंह को मोटरसाइकिल छोड़ते हुए देखा हो। क्योंकि यदि वह स्वयं देखता तो आरोपी का पीछा करने और उसे गिरफ्तार करने के संबंध में साक्ष्य देता। ऐसा

भी विवेचक ने नहीं बताया है कि किन्हीं अन्य परिस्थितियों के कारण वह आरोपी को नहीं पकड़ सका हो। बल्कि पैरा-4 में विवेचक द्वारा स्वतः में यह बताया जाना कि फूलसिंह के द्वारा छोड़कर जाने पर जब्ती की थी, इससे यही दर्शित होता है कि जब्ती प्र.पी.-6 मुताबिक खुले स्थान से हुई है। उसे आरोपी फूलसिंह से जब्त बताया जाना विधिक रूप से स्थापित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्र.पी.-6 में यह लिखा जाना कि जब्ती फूलसिंह से की गयी, खण्डित होता है, बल्कि लावारिस अवस्था में जब्ती मानी जा सकती है। और उस दशा में भी आरोपी फूलसिंह लूट के मामले में कढ़ी के रूप में जुड़ता हुआ परिलक्षित नहीं होता है इसलिये अ.सा.-7 व 8 के अभिसाक्ष्य से भी आरोपी फूलसिंह को लूट के मामले में दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता है।

18. प्र.पी.-15 व 16 के धारा-17 साक्ष्य विधान के मेमोरेण्डम कथनों को देखा जाये तो प्र.पी.-15 में रूपयों में से 9500 रुपये घर के गौडा में सीमेंट सीट के नीचे छिपाकर रखने व बरामद कराने की जानकारी देना बतायी गयी। जिसका कोई तलाशी पंचनामा नहीं बताया है। जो कि बनाया जाना चाहिये था। क्योंकि उक्त मेमोरेण्डम कथन सुबह 7:30 बजे थाने पर लिया गया था, दूसरा मेमोरेण्डम कथन प्र.पी.-16 ग्राम गिरगांव में लिया गया था। अर्थात् वह आरोपी के घर पर उस अवस्था में लिया जाना बताया गया है कि जब आरोपी फूलसिंह के घर पर रूपयों की बरामदगी के लिए गये, तब आरोपी फूलसिंह द्वारा पुलिस को यह जानकारी दी गयी कि उसने रुपये घर गृहस्थी के सामान लाने में खर्च कर दिये और सीमेंट सीट के नीचे छिपाकर रखने की बात उसने डर के कारण बतायी थी और उसके पास पैसे नहीं बचे हैं। प्र.पी.-16 में अंत में यह भी उल्लेखित किया है कि मोटरसाइकिल उसके द्वारा कॉम्टन फैक्ट्री के पास पुलिस को देखकर वह छोड़कर भाग गया था जो पुलिस ने जब्त कर ली है। यह तथ्य धारा-27 साक्ष्य की परिध के अंतर्गत नहीं आता है तथा वह अस्वाभाविक स्वरूप का भी है कि पुलिस को देखकर कोई अपराधी यदि भागे तो वह मोटरसाइकिल जैसा वाहन लिये होगा तो उसको लेकर तेजी से भागेगा, न कि मोटरसाइकिल को छोड़कर भागेगा।

19. प्र.पी.-12 के रोजनामचा सान्हा में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मोटरसाइकिल क्र.-एम.पी.-07 एम.डी.-8019 के संबंध में फरियादी दिलीप गौड के द्वारा पुलिस को इस आशय की जानकारी उपलब्ध करायी गयी थी कि उसकी लूटी गयी मोटरसाइकिल को फूलसिंह पुत्र नाथूसिंह गुर्जर निवासी गिरगांव का चलाकर रिठौरा तरफ गया है जिसे उसका भाई अच्छी तरह से जानता है क्योंकि फूलसिंह अपने मामा उदयसिंह और कल्याणसिंह निवासी गुरीखा

के यहां आता जाता है जिसे उसका भाई अच्छी तरह पहचानता भी है और उसके भाई ने भी देखने की जानकारी दी जिसे रोजनामचा सान्हा क्र०-602 पर दर्ज कर थाना प्रभारी आत्माराम शर्मा मय प्र.आर. गजेन्द्रसिंह, आरक्षक प्रेमसिंह, चालक रामशंकर के साथ शासकीय वाहन क्र.-एम.पी.-03-7239 से दिलीप व उसके भाई गिराज को लेकर कॉम्पन फैक्ट्री की तरफ रिठौरा रोड पर रवाना हुआ था । प्र. पी.-13 के रोज०सान्हा क्र०-606 में यह बताया गया है कि पैट शर्ट पहने हुए कंजी आंखों का सांवले रंग का व्यक्ति उम्र करीब 28 साल रिठौरा तरफ से आता दिखा जिसे घेरा बंदी कर पकड़ने की कोशिश की तो वह मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया पुलिस या फरियादी के हाथ नहीं आया, इस बात की पुष्टि न तो फरियादी दिलीप, न जानकारी देने वाले गिराज ने बतायी है । विवेचक आत्माराम शर्मा के साथ जो पुलिसकर्मी गये थे वे परीक्षित नहीं हैं, स्वयं आत्माराम शर्मा रोज०सान्हा के संबंध में औपचारिक स्वरूप की साक्ष्य देते हैं । इससे भी जब्ती संदिग्ध है । और यदि प्र.पी.-6 मुताबिक जब्ती दि०-18/5/2011 को ही हो गयी थी, तब फिर उसके संबंध में प्र. पी.-16 के मेमोरेण्डम कथन में उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है जो दि०-22/3/2012 को लिया गया था । ऐसे में प्र. पी.-11 से 13 व प्र.पी.-14 से प्र.पी.-16 के दस्तावेजों में से गिरफ्तारी को छोड़कर शेष की पुष्टि नहीं होती है इसलिये अ.सा.-7 व अ.सा.-8 के आधार पर जिसका कि किसी साक्षी ने समर्थन नहीं किया, उसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आरोपी फूलसिंह लूट की घटना में शामिल था और उसके कब्जे से ही मोटरसाइकिल बरामद हुई थी । जिससे बचाव पक्ष के इस आधार को भी बल मिलता है कि आरोपी को रोजनामचा सान्हा की खानापूर्ति करते हुए अभियोजित कर दिया ।

20. इस तरह से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के चरणबद्ध तरीके से किए गये विश्लेषण के आधार पर अभियोजन कथानक मुताबिक बतायी घटना में आरोपी फूलसिंह के विरुद्ध घटना संदेह से परे प्रमाणित नहीं होती है, कि उसके द्वारा दि०-30/12/2010 के रात करीब नौ बजे ग्राम गुरीखा के पास डकैती प्रभावित क्षेत्र में अन्य फरार अभियुक्त महेश के साथ मिलकर फरियादी दिलीप गौड के कब्जे की उसकी मोटरसाइकिल नंबर एम. पी.-07 एम.डी.-8019 तथा उसका मोबाइल फोन और 10000 रुपये की लूट कारित की गयी । फलतः आरोपी **फूलसिंह को संदेह का लाभ देकर धारा-392 भा.द.वि. एवं धारा-11, 13 एम.पी.डी.बि.पी.के. एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है ।**

21. आरोपी फूलसिंह के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं ।

22. आरोपी फूलसिंह का धारा-428 जा.फौ. के तहत प्रमाणपत्र संलग्न हो ।

23. प्रकरण में सहअभियुक्त महेश अभी फरार है इसलिये जब्तशुदा संपत्ति व अभिलेख सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ प्रकरण अभिलेखागार में जमा हो । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे ।

24. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये ।

दिनांक: 21/03/2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया ।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया ।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश, डकैती
गोहद जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)